उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा
# की कार्यसूची

## शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत्, 1936
## ( दिनांक : 20 मार्च, 2015 )

### समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

5. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2014-15) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. श्री बंशीधर भगत्, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के चकलुवा मुख्य मार्ग से रामपुर-खड़कपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कुन्दन सिंह जन्तवाल, निवासी ग्राम रामपुर, पो0 चकलुवा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के काण्डाखाल व आस-पास के गांव में पेयजल हेतु काण्डाखाल पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हर्ष मोहन नैथाणी, निवासी ग्राम महरगांव, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम ठुन्डा रणचूला कांडा मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम रणचूला, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिगांलपाणी गूम-किनसुर मोटर मार्ग के शेष 4 कि0मी0 निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रमेश सिंह नेगी, निवासी ग्राम किनसुर, पो0 किनसुर, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

16. कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

17. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

18. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

19. वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1985108 हजार (रूपये एक सौ अठ्ठानवे करोड़ इक्यावन लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(2) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1929843 हजार (रूपये एक सौ बयानवे करोड़ अठ्ठानवे लाख तैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(3) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 555521 हजार (रूपये पचपन करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(4) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1132970 हजार (रूपये एक सौ तेरह करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1701582 हजार (रूपये एक सौ सत्तर करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 162129 हजार (रूपये सोलह करोड इक्कीस लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 103210 हजार (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12075689 हजार (रूपये एक हजार दो सौ सात करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 289824 हजार (रूपये अठ्ठाईस करोड़ अठ्ठानवें लाख चौबीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(10) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12597275 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उनसठ करोड़ बहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2030149 हजार ( रूपये दो सौ तीन करोड़ एक लाख उनचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(12) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 15444205 हजार (रूपये एक हजार पांच सौ चौवालीस करोड़ बयालीस लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(13) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1011359 हजार (रूपये एक सौ एक करोड़ तेरह लाख उन्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(14) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1057150 हजार (एक सौ पांच करोड़ इक्हत्तर लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(15) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 12827440 हजार (रूपये एक हजार दो सौ बयासी करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

(16) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3543726 हजार (रूपये तीन सौ चौवन करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)** )

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

24. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

| प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|
| 1 श्री अजय भट्ट<br>2. श्री तीरथ सिंह रावत<br>1. श्री हरबंस कपूर<br>2. श्री बंशीधर भगत<br>3. श्री बिशन सिंह चुफाल<br>4. श्री मदन कौशिक<br>5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल<br>6. श्री हरभजन सिंह चीमा<br>7. श्री अरविन्द पाण्डे<br>8. श्री चन्दन राम दास<br>9. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना<br>10. श्री चन्द्रशेखर<br>11. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल<br>12. श्री गणेश जोशी<br>13. श्री राजेश शुक्ला<br>14. डा0 प्रेम सिंह राणा<br>15. श्री राजकुमार ठुकराल<br>16. श्री महावीर सिंह रांगड़<br>17. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर<br>18. श्री संजय गुप्ता<br>19. श्री यतीश्वरानन्द<br>20. श्री दलीप सिंह रावत<br>21. श्री पूरन सिंह फर्त्याल<br>22. श्री दान सिंह भण्डारी | "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015" इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"<br>(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) |

25. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

26. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

| प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|
| 1 श्री अजय भट्ट<br>2. श्री तीरथ सिंह रावत<br>3. श्री हरबंस कपूर<br>4. श्री बंशीधर भगत<br>5. श्री बिशन सिंह चुफाल<br>6. श्री मदन कौशिक<br>7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल<br>8. श्री हरभजन सिंह चीमा<br>9. श्री अरविन्द पाण्डे<br>10. श्री चन्दन राम दास<br>11. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना<br>12. श्री चन्द्रशेखर<br>13. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल<br>14. श्री गणेश जोशी<br>15. श्री राजेश शुक्ला<br>16. डा0 प्रेम सिंह राणा<br>17. श्री राजकुमार ठुकराल<br>18. श्री महावीर सिंह रांगड़<br>19. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर<br>20. श्री संजय गुप्ता<br>21. श्री यतीश्वरानन्द<br>22. श्री दलीप सिंह रावत<br>23. श्री पूरन सिंह फर्त्याल<br>24. श्री दान सिंह भण्डारी | "उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015" इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"<br><br>(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) |

27. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

28. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)

| प्रस्तावक का नाम | संशोधन का रूप |
|---|---|
| 1 श्री श्री अजय भट्ट<br>2. श्री तीरथ सिंह रावत<br>3. श्री हरबंस कपूर<br>4. श्री बंशीधर भगत<br>5. श्री बिशन सिंह चुफाल<br>6. श्री मदन कौशिक<br>7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल<br>8. श्री हरभजन सिंह चीमा | "उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015" इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"<br><br>(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) |

9. श्री अरविन्द पाण्डे
10. श्री चन्दन राम दास
11. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
12. श्री चन्द्रशेखर
13. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री माल चन्द्र
16. श्री पुष्कर सिंह धामी
17. श्री राजेश शुक्ला
18. डा० प्रेम सिंह राणा
19. श्री राजकुमार ठुकराल
20. श्री महावीर सिंह रांगड़
21. श्री भीम लाल आर्य
22. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
23. श्री आदेश चौहान
24. श्री संजय गुप्ता
25. श्री यतीश्वरानन्द
26. श्री दलीप सिंह रावत
27. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
28. श्री दान सिंह भण्डारी

29. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

30. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।"

31. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गो के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

32. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वन ग्राम, गोठ व खत्ते आदि, जो वन भूमि पर लम्बे समय से हैं, में निवासित नागरिकों को समुचित अवस्थापना सुविधायें दिये जाने, उन्हें भूमि अधिकार दिये जाने आदि की दृष्टि से इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।"

33. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को विगत वर्षो की तरह ही विशेष राज्य का दर्जा बनाये रखते हुए विशेष योजनागत सहायता (SPA), सामान्य केन्द्रीय सहायता (NCA), विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) तथा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं के लाभ पूर्वतया प्रदान किये जाये।"

34. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

35. विधान सभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर के अन्तर्गत नवगठित नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर में छूट गये कतिपय क्षेत्रों को जोड़े जाने के संबंध में, श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

36. उत्तराखण्ड राज्य में 01.11.2005 के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों की सी.पी.एस.एन. कटौती के संबंध में, श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, वित्त मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 19 मार्च, 2015

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2015
का द्वितीय शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

# उत्तराखण्ड विधान सभा

# की कार्यसूची

## शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

## ( दिनांक : 20 मार्च, 2015 )

## नत्थी "क"

### अल्पसूचित प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| श्री महावीर सिंह रांगड़<br>07.03.2015 | **क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि राज्य की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को मानकों के अनुसार पेयजल उपलब्ध नहीं है ? यदि हां तो राज्य की कितनी बस्ती व गांव पेयजल से वंचित एवं आंशिक प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित परिवारों को मानकों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या कार्ययोजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | **पेयजल** |
| श्री मदन कौशिक<br>10.03.2015 | **क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगनहर हरिद्वार व ऋषिकेश में कितने स्थानों पर सीवर लाईन से सीवर गंगा में जा रहा है तथा सीवरेज के कारण गंगा में प्रदूषण हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सीवरेज को रोकने हेतु क्या प्रभावी योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | **पेयजल** |

# नत्थी 'ख'

## तारांकित प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| श्री हरबंस कपूर<br>19.02.2015 | *01. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कुल कितनी आवासीय कालोनियां हैं तथा क्या वर्तमान में भी उक्त कालोनियों में सड़क, पेयजल, सीवर, नाली तथा अन्य रखरखाव का कार्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ही करती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? | आवास |
| श्री नवप्रभात<br>20.02.2015 | *02. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।**<br>क्या शहरी विकास मंत्री प्रथम सत्र 2013 के प्रथम शुक्रवार के तारा0 प्रश्न संख्या 08 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम देहरादून द्वारा दिनांक 04.03.2011 को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए मै0 दून वैली वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0 के साथ किये गये अनुबन्ध के मुख्य बिन्दु क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जे0एन0यू0आर0एम0 से इस पी0पी0पी0 अनुबन्ध को क्या वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या नगर निगम देहरादून द्वारा भी इस अनुबन्ध में वित्त पोषण किया जा रहा है ? क्या अनुबन्ध में कूड़ा निस्तारण का कार्य भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो अन्तिम निस्तारण के लिए कहां भूमि उपलब्ध करायी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद देहरादून के अन्य निकायों को भी इस अनुबन्ध से आच्छादित करने की व्यवस्था की गयी है ? | शहरी विकास |
| श्री हीरा सिंह बिष्ट<br>26.02.2015 | *03. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए तीन ई0एस0आई0 अस्पताल और हरिद्वार में मेडिकल कालेज स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्वीकृतियों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र पन्तनगर, हरिद्वार व सेलाकुई देहरादून में श्रमिकों के लिए चिकित्सा की क्या सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ई0एस0आई0 अस्पतालों में मानकों के अनुरूप चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? | श्रम |
| श्री हरभजन सिंह चीमा<br>27.02.2015 | *04. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार नगर निगम काशीपुर में कचरे के निस्तारण हेतु कोई विस्तृत योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? | शहरी विकास |
| श्री संजय गुप्ता<br>27.02.2015 | *05. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं व नगर निगमों में पिछले कई वर्षों से संविदा पर सफाई कर्मी बहुत कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों के कार्यों की विषम प्रकृतियों को देखते हुए सरकार इनके मानदेयों की धनराशि की अल्पता के दृष्टिगत नियमित नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो मानदेय बढाये जाने के लिए क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संदर्भ में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कार्य करने हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? | शहरी विकास |

| | | |
|---|---|---|
| श्री हीरा सिंह बिष्ट<br>19.02.2015 | *6. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कितने गांव सम्मिलित हैं तथा कितने मामलों में भू परिवर्तन करते हुए कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि गत 5 वर्ष में प्राधिकरण की कितनी आय हुई है प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के कितने गांव में विकास के कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? | **आवास** |
| श्री हरबंस कपूर<br>18.02.2015 | *07. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून की बढती जनसंख्या और वाहनों की बढती संख्या को देखते हुए क्या सरकार मोनो रेल या यातायात के ऐसे ही किसी वैकल्पिक माध्यम पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों नहीं, ? | **आवास** |
| श्री आदेश चौहान<br>21.02.2015 | *08. क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत स्थानीय अर्थात उत्तराखण्ड के युवकों को रोजगार दिये जाने की शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? | **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** |
| श्री मदन कौशिक<br>19.02.2015 | *09. क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान सरकार ने क्या कार्य किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? | **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** |

## अतारांकित प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| श्री दलीप रावत<br>26.02.2015 | 1. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन के अन्तर्गत ग्राम–भौन विकासखण्ड–नैनीडांडा में पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र में अभी तक कोई कर्मचारी नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ? यदि नही, तो पूर्व में उक्त स्थान में पशु चिकित्सक को नियुक्ति देने के क्या कारण थे ? | **पशुपालन** |
| श्री पूरन सिंह फर्त्याल<br>24.02.2015 | 2. क्या औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत खेतीखान में आई0टी0आई0 का भवन निर्माणाधीन है ? क्या सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु धनावंटन किया जा चुका है ? यदि हां, तो योजना का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? | **औद्योगिक प्रशिक्षण** |

## नत्थी "ग"

**कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2015 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-**

मार्च, 2015

20 शुक्रवार

1. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

   "उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वन ग्राम, गोठ व खत्ते आदि, जो वन भूमि पर लम्बे समय से हैं, में निवासित नागरिकों को समुचित अवस्थापना सुविधायें दिये जाने, उन्हें भूमि अधिकार दिये जाने आदि की दृष्टि से इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।" **(15 मिनट)**

3. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

   "यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को विगत वर्षों की तरह ही विशेष राज्य का दर्जा बनाये रखते हुए विशेष योजनागत सहायता (SPA), सामान्य केन्द्रीय सहायता (NCA), विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) तथा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं के लाभ पूर्वतया प्रदान किये जाये।" **(15 मिनट)**

मार्च, 2015
21 शनिवार

**नियम-105 के प्रस्ताव**

श्री हरभजन सिंह चीमा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दी जाय।"

**( शेष कार्यक्रम यथावत् )**

नत्थी- "घ"

## वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 28-पशुपालन, 16-श्रम और रोजगार, 8-आबकारी, 10-पुलिस एवं जेल 14-सूचना, 15-कल्याण, 21-ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा, 22-लोक निर्माण, 23-उद्योग, 24-परिवहन, योजनायें, 30-अनुसूचित जातियों, 31-अनुसूचित जनजातियों।

| प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का प्रारूप |
|---|---|
| 1 श्री अजय भट्ट<br>2 श्री तीरथ सिंह<br>3 श्री हरबंस कपूर<br>4 श्री बंशीधर भगत<br>5 श्री बिशन सिंह चुफाल<br>6 श्री मदन कौशिक<br>7 श्रीमती विजय बड़थ्वाल<br>8 श्री हरभजन सिंह चीमा<br>9 श्री अरविन्द पाण्डे<br>10 श्री चन्दन राम दास<br>11 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना<br>12 श्री चन्द्रशेखर<br>13 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल<br>14 श्री गणेश जोशी<br>15 श्री मालचन्द<br>16 श्री पुष्कर सिंह धामी<br>17 श्री राजेश शुक्ला<br>18 डा0 प्रेम सिंह राणा<br>19 श्री राजकुमार ठुकराल<br>20 श्री महावीर सिंह रांगड़<br>21 श्री भीमलाल आर्य<br>22 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर<br>23 श्री आदेश चौहान<br>24 श्री संजय गुप्ता<br>25 स्वामी यतीश्वरानन्द<br>26 श्री दलीप रावत<br>27 श्री पूरन सिंह फर्त्याल<br>28 श्री दान सिंह भण्डारी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |